संख्या- 32/2021/1673974-12/5099/994/2019

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ::दिनांक 08 जुलाई, 2021

विषय:- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत "पर ड्राप मोर क्राप-अदर इन्टरवेंशन घटक" अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु पुनर्वैध की गयी सामान्य मद की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्र संख्या-PMKSY(प्रकोष्ठ)/22/बजट/सामान्य/2021-22, दिनांक 14 जून, 2021 के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102- मृदा संरक्षण, 06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के0 60/रा0 40-के0+रा0) में प्रस्तावित धनराशि के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में पुनर्वैधित राज्यांश की धनराशि रू0 1121.88 लाख (रूपया ग्यारह करोड़ इक्कीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न मानक मदों में व्यय करने की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	वित्तीय स्वीकृति (राज्यांश 40 %)
अनुदान संख्या - 11 का लेखाशीर्षक – '' 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 102- मृदा संरक्षण, 06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 0601- वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के 0 60/ रा 0 40- के 0+ रा 0)''	04- यात्रा व्यय	15.00	2 .28
	08- कार्यालय व्यय	15.38	2.34
	11- लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	10.00	1.52
	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	3.04
	27- सब्सिडी	6911.00	1062.22
	29- अनुरक्षण	20.00	3.04
	42- अन्य व्यय	300.00	40.40
	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30.00	2.00
	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	20.00	3.04
	58- आउट सोर्सिंग सेवाओं का भुगतान	20.00	2.00
	योग	**7361.38**	**1121.88**

2- प्रश्नगत धनराशि के कोषागार से आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत निर्गत केन्द्रांश का कम से कम 3/4 व्यय नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरुप पी0एम0के0एस0वाई0 हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

5- प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

6- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह आपका उत्तरदायित्व रहेगा।

7- वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9- सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

10- विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

11- कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

12- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- उक्त प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रथमतः राज्यांश की धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 0301-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के0 60/रा0 40-के0+रा0) के मानक मद 04- यात्रा व्यय, 08-कार्यालय व्यय, 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, 27- सब्सिडी, 29- अनुरक्षण, 42- अन्य व्यय, 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय, 47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी, 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं का भुगतान के नामे डाला जायेगा।

14- धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- प्रधान महालेखाकार(सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

9- अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण/सामान्य), कृषि निदेशालय, लखनऊ।

10- समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।